

दिनांक 05.01.2026 को जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के निर्देश के आलोक में सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव की अध्यक्षता में District Family Planning Indemnity Sub Committee की आहूत बैठक की कार्यवाही:-

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण की अध्यक्षता में दिनांक 05.01.2026 को परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत District Family Planning Indemnity Sub Committee की बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्नवत सदस्य उपस्थिति हुए :-

1. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी (प०क०) पूर्वी चम्पारण।
2. डा० अतहर हुसैन, शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मोतिहारी।
3. डा० वन्दना शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, मोतिहारी।
4. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
5. जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
6. जिला प्रबंधक PSI-India, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा

जिला सामुदायिक उत्प्रेरक द्वारा बताया गया कि परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने, इनसे होने वाले मृत्यु, जटिलताएँ एवं विफलता में कमी लाना तथा लाभार्थियों को ससयम उचित क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है।

इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पूर्व में सम्पन्न बैठक के दिनांक 1768/DHS दिनांक 06.01.2024 के द्वारा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही जिला स्तरीय मासिक बैठक में भी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया जाता रहा है।

सिविल सर्जन द्वारा निर्देश दिया गया कि पुनः विस्तृत दिशा-निर्देश सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को प्रेषित किया जाए।

प्रस्ताव 02 - जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा बताया गया कि परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान गुणवत्तापूर्ण सेवा देना सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि सेवा के दौरान कोई जटिलताएँ, विफलताएँ या मृत्यु होता है तो लाभार्थियों को ससयम उचित क्षतिपूर्ति देने का नियमानुकूल प्रावधान है। साथ ही FPIs अन्तर्गत मृत्यु होने पर एवं विफलता होने से संबंधित दावा घटना के 90 दिनों के अन्दर संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में दावा के उपरान्त मान्य होगा।

प्रस्ताव 03 - जिला प्रबंधक PSI-india द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लाभार्थी अथवा परिजनों द्वारा मृत्यु जटिलता एवं विफलता संबंधित दावा हेतु पूर्ण निम्नांकित दस्तावेज को घटना से 90 दिनों के अन्दर संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध कराना आवश्यक है यथा :-

1. मृत्यु होने पर :- दावा प्रपत्र सह चिकित्सा प्रमाण-पत्र (Claim From medical Certificate/BST), मृत्यु प्रमाण-पत्र (अस्पताल/नगरपालिका) अन्य में जो उपलब्ध हो कि छाया प्रति एवं स्वास्थ्य संस्थानों से निर्गत की गई Post Operative Instruction Card/Discharge Certificate/BST की छाया प्रति।
2. विफलता होने पर :- दावा प्रपत्र सह चिकित्सा प्रमाण-पत्र, बंध्याकरण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति एवं बंध्याकरण विफलता की पुष्टि हेतु कोई Diagnostic Report की छाया प्रति।
3. जटिलता होने पर :- दावा प्रपत्र सह चिकित्सा प्रमाण-पत्र मूल प्रति में तथा Post Operative Instruction Card/Discharge Certificate/BST की छाया प्रति बंध्याकरण Prescription के साथ-साथ खर्च किए हुए राशि का Bill/Receipts/Cashmemo मूल प्रति में।

प्रस्ताव 04 - Disc समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपाधीक्षक अनुमण्डलीय अस्पताल चकिया के पत्रांक 2-3/SDH दिनांक 06.09.2025, अनुमण्डलीय अस्पताल अरेराज के पत्रांक 94/SDH दिनांक 17.04.2025 के द्वारा श्रीमती सुनीता देवी पति रामलाल सहनी चकिया, श्रीमती सोनी देवी, पहाड़पुर पत्रांक 186 दिनांक 13.03.2025 के द्वारा श्रीमती फुलैना खातून पति फिरोज हवारी विफलता से संबंधित पत्राचार किया गया है, जो आवश्यक दस्तावेज हस्ताक्षरित प्रति अनुशंसा के साथ SISC को भेजा जाय ताकि संबंधित लाभार्थी को नियमानुकूल क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा सके।

परिवार कल्याण ऑपरेशन उपरान्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़पुर, अनुमण्डलीय अस्पताल चिकित्सा एवं अरंराज विफलता से संबंधित आवेदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में DISC के आयोजन में निर्णय किया गया था कि संबंधित आवेदन को SISC को अग्रसारित किया जाए।

उक्त तीनों आवेदन पर हाहा को निर्णय लिए जाने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण का अनुमोदन आवश्यक है।

अतः संचिका अपने मन्तव्य के साथ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी (पटक) एवं सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव के माध्यम से जिला पदाधिकारी से अनुमोदन हेतु आदेशार्थ उपस्थापित।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक

Sham
20/5/26

18/5/26

जिला सामुदायिक उत्प्रेरक
जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

C.S.

District Family Planning Indemnity Sub Committee की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में State Indemnity Sub Committee पटना को प्राप्त तीनों आवेदन अग्रेतर कारवाई हेतु भेजा जाना है।
कृपया भवदीय अनुमोदन देना चाहेंगे।

जिला पदाधिकारी

[Signature]
20/5/26

जिला पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

[Signature]
सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।



जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण

DISTRICT HEALTH SOCIETY, EAST CHAMPARAN

सदर अस्पताल, परिसर, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी - 845401

Telephone No. - 06252-240650, Email- dhschamparan@gmail.com

संख्या-2897/2026

दिनांक-12/2/26

प्रभु-सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

समा नं.
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
(परिवार कल्याण कार्यक्रम)
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना।

विषय:-परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना अन्तर्गत बंध्याकरण विफलता से संबंधित देय राशि के संबंध में

माहिती-उपयुक्त विषयक पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तीन सेवाप्रद लाभार्थी का बंध्याकरण उपरोक्त विफलता यथा-

- (1) श्रीमती सुनीता देवी पति रामलाल सहनी (चकिया)
- (2) श्रीमती सोनी देवी पति धीरज मिश्रा (अरेराज)
- (3) श्रीमती फुलेसा खातुन पति फिरोज हवारी (पहाड़पुर)

का आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदक के आलोक में DFISC का बैठक दिनांक 05.01.2026 को आयोजित किया गया एवं समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि तीनों लाभार्थी का क्षतिपूर्ति देय राशि हेतु आवेदन SISC को निरस्तारोकरण के लिए प्रेषित किया जाए।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि तीनों लाभार्थियों के क्षतिपूर्ति देय राशि अग्रेतर कारवाई करने की कृपा की जाए।

संलग्न:-यथावत।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक
जिला स्वास्थ्य समिति,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
सह नोडल पदाधिकारी(प०क०)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

विश्वासभाजन
सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापक-2897/2026 मोतिहारी, दिनांक-12/2/26

प्रान्ताधिकारी:-क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रान्ताधिकारी:-जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रान्ताधिकारी:-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक
जिला स्वास्थ्य समिति,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
सह नोडल पदाधिकारी(प०क०)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

Annex. 3